भारत सरकार

योजना मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1745

दिनांक 18.12.2023 को उत्तर देने के लिए

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) की मुख्य विशेषताएं

1745. श्री सतीश चंद्र दूबे:

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 23 अगस्त, 2021 को घोषित राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) इसकी लक्षित राशि और क्षेत्र क्या-क्या हैं; और

(ग) इसकी अब तक की उपलब्धियां क्या हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) सरकार ने अगस्त, 2021 में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) शुरू की ताकि अवसंरचना संचालन तथा रखरखाव में दक्षता लाने के लिए और अवसंरचना निर्माण में तेजी लाने के लिए सार्वजनिक अवसंरचना निवेश से मूल्य प्राप्ति करने का प्रयास किया जा सके।

(ख) एनएमपी के तहत 2021-22 से 2024-25 तक की चार साल की अवधि में परिसंपत्ति पाइपलाइन का कुल मूल्य 6.0 लाख करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। एनएमपी के अंतर्गत सम्मिलित क्षेत्रों में सड़कें, पोर्ट, विमान पत्तन, रेल, भाण्डागारण, बिजली उत्पादन और पारेषण, गैस एवं उत्पाद पाइपलाइन, खनन, दूरसंचार, स्टेडियम आतिथ्य और आवासन शामिल हैं।

(ग) वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान, उपचय अथवा निजी निवेश की दृष्टि से लगभग 2.3 लाख करोड़ रु. के कुल मुद्रीकरण मूल्य वाले लेन-देन कार्य को पूरा किया गया।

*****